जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–624/2026

कुटूम्बा थाना काण्ड संख्या–77/2026

04.06.2026 प्रस्तुत जमानत आवेदन काराधीन अभियुक्त सुधीर कुमार साव उर्फ अक्षय कुमार की ओर से आज दिनांक–20.05.2026 को दाखिल किया गया है, जो दिनांक–18.05.2026 से कारा में निरोधित है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दी गई है। सूचिका/आहत अनुपस्थित है।

पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध इस वाद के अतिरिक्त अन्य कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। आवेदक के विरूद्ध इस वाद में वर्णित धाराएँ लागू नहीं होता है। आवेदक दिनांक–18.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उभय पक्ष के बीच जमीनी विवाद है। इस वाद के जख्मी का जख्म साधारण एवं छिछला प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त को किसी भी राशि के बंधपत्र पर जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित मूल वाद अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त जमानत आवेदन, कुटूम्बा थाना कांड संख्या–77/2026 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 352, 351(2), 351(3), 3/5 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 एवं धारा 3(1)(r)(s)/3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उक्त अभियुक्त सहित इस वाद के अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध सूचिका के पति को टांगी से मारकर सिर फोड़ दिया है तथा जब सूचिका के परिवार के अन्य लोग जुटे तो अभियुक्तगण जाति सूचक गाली देते हुए भाग गये, का आरोप है। सूचिका/आहत को नोटिस निर्गत किये जाने के उपरांत भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। विकलांगता से संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति अभिलेख पर संधारित है, जिसमें आवेदक की विकलांगता पचपन प्रतिशत उद्धृत है तथा वह दिनांक–18.05.2026 से कारा में निरोधित है। कांड दैनिकी के साथ जख्म प्रतिवेदन संधारित नहीं है। कांड दैनिकी के कंडिका–33 से परिलक्षित होता है कि अभियुक्त का अपराधिक इतिहास नहीं है। घटना दिनांक–15.05.2026 को उल्लेखित है जबकि प्राथमिकी दो दिन विलंब से दिनांक–17.05.2026 को दर्ज कराया गया है तथा विलम्ब से संबंधित कोई यथोचित कारण प्राथमिकी में वर्णित नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा कारा संसीमन अवधि पर विचार करते हुये, आवेदक/अभियुक्त सुधीर कुमार साव उर्फ अक्षय कुमार को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव (10000X2) दस–दस हजार रूपये के दो विश्वसनीय जमानतदारों एवं उतने ही धनराशि के बंध पत्र दाखिल किये जाने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त साक्ष्य व साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, अनुसंधान में सहयोग करेगा, वाद के विचारण एवं निष्पादन में पूर्णतः सहयोग करेगा एवं प्राप्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

आदेश की तिथि	04.06.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	नही
अपलोड करने की तिथि	05.06.2026
द्वारा अपलोड किया गया	स्टेनोग्राफर

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति,बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम),औरंगाबाद।
04.06.2026